न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 3183 / 2003 / जालौर

1– तगसिंह
2– पृथ्वीसिंह
पुत्रान श्री उक सिंह जाति राजपूत निवासी धामसीन जिला जालौर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत धामसीन जरिये सचिव
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाडा जिला जालौर

.....प्रत्यर्थी

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :–

श्री ओ.एल.दवे, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
श्री एस.पी.औझा, राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 31–1–2025**

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जालौर–सिरोही द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–3–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् न्यायालय सहायक कलेक्टर, सांचोर के समक्ष पेश कर कथन किया कि ग्राम धामसीन के पुराने खसरा नंबर 234 रकबा 106 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 252 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा प्रथम सेटलमेंट से गैर मुमकिन गोचर ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज थी। पूर्व खसरा नंबर 234 के नये खसरा नंबर 369 रकबा 0.62 हैक्टयर एवं पूर्व खसरा नंबर 252 के नये खसरा नंबर 669 व 670

रकबा क्रमश 0.65 व 0.35 हैक्टयर कायम किये गये। अपीलार्थी के पिता धामसीन के पूर्व जागीरदार थे तथा प्रथम सेटलमेंट से पहले वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी के पिता एवं उनके भाईयों द्वारा काश्तकारों को काश्त हेतु हासल के बदले दिया करते थे। विवादित आराजी काबिल काश्त है तथा इसे नियमन करने के आदेश भी दिये जा चुके है किंतु नियमन नहीं किये जाने से यह दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी ने वादी के दावे को स्वीकार किया है तथा विवादित आराजी पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा माना है। वर्तमान में विवादित आराजी का स्वरूप गौचर नहीं है तथा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का इस वाद पर कोई असर नहीं पडता। अतः अपीलार्थी वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को उसकी आराजी मजाहमत नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अपने निर्णय दिनांक 30–3–01 द्वारा खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध न्यायालय भू प्रंबध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जालौर–सिरोही के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सिरोही ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–3–02 द्वारा खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। विवादित आराजी अपीलार्थी वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है। प्रत्यर्थी का इस भूमि से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। ग्राम पंचायत प्रतिवादी सं.1 द्वारा वाद को स्वीकार कर इकबालदावा पेश किया था ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री काबिल था। वादी के पिता के पक्ष में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के सम्बंध में चली आ रही कार्यवाहीं के अन्दर राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर कैंप जोधपुर ने अपील सं. 87/66 दिनांक 7–11–69 को स्वीकार कर नियमन किये जाने के आदेश दिये थे जिसकी पालना आज दिनांक तक नहीं हुई। अपीलीय न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों का अनदेखा किया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त आराजी काबिल काश्त है तथा गोचर नहीं है। काबिल काश्त होने के कारण वादग्रस्त आराजी को पूर्व में नियमन का आदेश दिया गया था। अपीलार्थी का विवादित आराजी पर बहुत पुराना कब्जाकाश्त है। सेटलमेंट की गलती से विवादित

आराजी गोचर दर्ज हुई है। ग्राम पंचायत ने विवादित आराजी को अपीलार्थी की आराजी बताया है तथा उक्त भूमि की खातेदारी अपीलार्थी को देने में कोई एतराज होना नहीं बताया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपीलार्थी का वाद नियमों के विरूद्ध खारिज किया है। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

4— उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजी गोचर भूमि है तथा ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है, जिस पर अपीलार्थी ने अतिक्रमण कर रखा है। अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाहीं की जाकर बेदखल भी किया जा चुका है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिसमें विधि अथवा तथ्य सम्बंधी कोई त्रुटि नहीं होने से हस्तगत् अपील खारिज की जावें।

4— अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5— पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वादी ने योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जिसे योग्य विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत अपील को न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सिरोही ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20—3—02 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन गोचर होकर ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज है। अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाहीं कर बेदखल किया जाना स्पष्ट है। विवादित आराजी पर अपीलार्थी एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिजकाश्त है। अपीलार्थी ने विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व से कब्जा होना साबित नहीं किया है। विचारण न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यक सं. 1 व 2 वादी के खिलाफ दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णित किया गया है। तनकी सं.3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई है। विवादित आराजी प्रथम सेटलमेंट से पूर्व एवं पश्चात् गैर मुमकिन गोचर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी वादी का वाद दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक विवाद्यक विरचित करते हुये विस्तृत

विवेचन व विश्लेषण से खारिज किया है, जिसकी प्रस्तुत अपील, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुये खारिज की है।

8— इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, सांचोर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30—3—01 पारित करने में तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सिरोही ने अपने निर्णय दिनांक 26—3—02 से योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें उपर्युक्त विवेचनानुसार ऐसी विधि या तथ्य संबंधी कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती हैं, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9— परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय की निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष